न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–श्री चादण्डदान चारण (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 292 सन् 2015
पंजीयन दिनांक 09.10.2015

1. श्रीमती ऊंकारी पत्नि शंकरलाल जाति ब्राह्म्ण निवासी बिलिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. श्रीमती यशोदा उर्फ जशोदा पत्नि रूपनारायण जाति ब्राह्म्ण निवासी बिलिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
3. श्रीमती सुशीला पत्नि रमेश जाति ब्राह्म्ण निवासी बिलिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
4. श्रीमती चन्द्रकला पत्नि राजेन्द्र कुमार जाति ब्राह्म्ण निवासी बिलिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांटगण

विरूद्व

1. चम्पा पिता मोहनलाल जाति जाट निवासी आजोलियो का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
2. डालचन्द पिता मोहनलाल जाति जाट– मृतक के बजाय
   1. संतोषी पत्नि डालचन्द जाति जाट निवासी आजोलियो का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
   2. रतन पिता डालचन्द जाति जाट निवासी आजोलियो का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
   3. प्रेमबाई पत्नि मिठुलाल जाति जाट निवासी पावटिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
   4. अंजली पत्नि शम्भुलाल जाति जाट निवासी शादी तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
   5. सुमन पत्नि लोकेश जाति जाट निवासी मेडी खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
3. लेहरी बाई पुत्री मोहनलाल जाति जाट निवासी आजोलियो का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
4. दाखी पत्नि मोहनलाल जाति जाट निवासी आजोलियो का खेडा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
5. हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड जरिये वरिष्ठ महाप्रबन्धक हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड पुठोली तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
6. सरकार जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
प्रकरण संख्या 192/2008 निर्णय एंव डिक्री दिनांक 03.07.2015

उपस्थित– 1. सम्पत कुमार जणवा –अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. चम्पालाल जाट– रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4
3. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक–रेस्पो.सं. 5

निर्णय **दिनांक 08.03.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट वादीगण ने दिनांक 03.07.2015 को पारित निर्णय व आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राज्य सरकार के द्वारा कैम्प कोर्ट नगरी के सम्बन्ध मे कोई अधिसूचना जारी नही हुई। राजस्व लोक अदालत मे दोनो पक्षो की सहमति के आधार पर निर्णय करने के लिये नियत स्थानो पर कैम्प लगाये गये। गुणावगुण पर निर्णय करने के लिये राजस्व लोक अदालत नियत नही किया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपीलान्टगण वादीगण ने रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मौजा बिलिया तहसील चित्तौडगढ़ के आराजी नम्बर 1372 रकबा 0.62 हैक्टेयर जिसके भू–प्रबन्ध के पूर्व साबिक आराजी नम्बर 961, 962 मीन, 963 मीन था। उक्त आराजीयात के खातेदार घीसुलाल पिता हरिशंकर ब्राह्म्ण थे, जिन्हे यह आराजी विभाजन मे प्राप्त हुई। इस सम्बन्ध मे सहायक सेटलमेन्ट अधिकारी गंगरार प्रकरण सं. 95/1977 मे दिनांक 07.04.1977 को विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर उक्त आराजीयात वादीगण अपीलान्टगण के पिता घीसुलाल ब्राह्म्ण के नाम दर्ज करने का आदेश दिया। घीसुलालजी का निधन हो गया। अपीलान्टगण वादीगण उनके उत्तराधिकारी है। घीसुलाल की मृत्यु के बाद बहैसियत वादीगण उक्त आराजीयात के खातेदार है। घीसुलालजी अपने जीवनकाल मे उक्त आराजीयात रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 के पिता व रेस्पोडेन्ट सं. 4 के पति ने न तो विक्रय की न अन्तरित की। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 के पिता व रेस्पोडेन्ट सं. 4 के पति मोहन पिता चमना जाट ने पंचायत से मिलकर नामान्तकरण सं. 79 अपने पक्ष मे निर्णित कराया जो कि प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य है। क्यो कि अपीलान्टगण के पिता ने अपने जीवनकाल मे उक्त आराजीयात मोहन को न तो विक्रय की न ही अन्तरित की। पंचायत ने भी आराजीयात की खातेदारी घीसुलाल ब्राह्म्ण को सुने बिना व न ही उन्हे अपना पक्ष रखने का अवसर दिये बिना नामान्तकरण मोहन के पक्ष मे निर्णित कर दिया। यह नामान्तकरण प्रभावहीन व शून्य है। क्योकि इसके बारे मे स्वंय भू–अभिलेख अधिकारी को धारा 42 व धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की अवहेलना और नामान्तकरण के आधार पर राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज न करने का अंकन किया। इसी कारण इस नामान्तकरण के आधार पर वर्षो

तक मोहन का नाम राजस्व अभिलेख मे दर्ज नही हुआ। वादीगण अपीलान्टगण के पिता घीसुलाल को पक्षकार बनाये बिना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय मे प्रस्तुत उक्त नामान्तकरण सं. 79 जो कि प्रारम्भ से ही प्रभावहीन होकर शून्य था। उसके आधार पर राजस्व अभिलेख मे मोहन के नाम अंकन कराने का आदेश पारित करा दिया। यह आदेश भी अपीलान्टगण वादीगण तथा उनके पिता के विरूद्ध प्रभावहीन होकर शून्य है। नामान्तकरण सं. 79 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम फिस्कल प्रोसेडिंग है। इसके आधार पर इन आराजीयात के खातेदार मोहन नही होता है। तथा अपीलान्टगण के पिता इन आराजीयात के खातेदार थे। उनकी खातेदारी इस आधार पर समाप्त नही की जा सकती कि इस कारण उक्त फिस्कल प्रोसेडिंग के आधार पर मोहन का जो अंकन राजस्व अभिलेख मे हुआ वह अवैध है और उसके आधार पर मोहन तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त रेस्पोडेन्टगण सं. 1 से 4 प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात के खातेदार नही होते है। उनका नाम राजस्व अभिलेख मे खातेदार के रूप मे दर्ज किया गया है जो अपीलान्टगण वादीगण के मुकाबले प्रभावहीन होकर अपीलान्टगण वादीगण घोषणात्मक डिक्री व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

उक्त आशय का वादपत्र अपीलान्टगण वादीगण के ओर से अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 11.09.08 को वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया। दिनांक 02.03.2009 को रेस्पोडेन्ट सं. 5 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। व दिनांक 11.05.2009 को रेस्पोडेन्टगण सं. 1 से 4 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् उक्त पत्रावली वास्ते दस्तावेज प्रस्तुत करने व तनकियात हेतु नियत थी। इसी दरम्यान प्रतिवादी की ओर से आदेश 6 नियम 17 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ जो जवाब बहस मे नियत था। जिसका निस्तारण किया जाकर संशोधित जवाबदावा प्रस्तुत हुआ। व काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् उक्त प्रकरण मे दिनांक 19.09.2012 को आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर जवाब बहस मे पत्रावली नियत थी। प्रकरण को दिनांक 03.07.2015 को लोक अदालत मे नियत किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 से 4 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 इस आधार पर स्वीकार किया कि विवादित भूमि को प्रतिवादी सं. 5 के द्वारा वादपत्र प्रस्तुत किये जाने से पूर्व अवाप्त कर ली गई है। व वर्तमान मे उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 5 के नाम अवाप्त से दर्ज हो चुकी है। जिससे अवाप्तशुदा भूमि के सम्बन्ध मे राजस्व न्यायालय को वादपत्र सुनने का अधिकार नही रहता है। उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण लोक अदालत के तहत किया जाकर अपीलान्टगण वादीगण का वादपत्र विधि द्वारा वर्जित मानते हुए निरस्त किया गया।

उपखण्ड अधिकारी

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 03.07.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलान्टगण वादीगण ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की। जो इस न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्टगण ने अपनी बहस मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने लोक अदालत के तहत बिना राजीनामे के गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए अपीलान्टगण वादीगण का वादपत्र निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण की ओर जवाबदावा व काउन्टर क्लेम प्रस्तुत था। तत्पश्चात् रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 की ओर से दिनांक 19.02.2012 को आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिससे पत्रावली जवाब प्रार्थना पत्र व बहस हेतु नियत थी। अपीलान्टगण की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब बन्द किये बगैर बिना अपीलान्टगण की उपस्थिति के रेस्पोडेन्टगण की उपस्थिति मे लोक अदालत के तहत प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर अपीलान्टगण वादीगण का वादपत्र बिना किसी लिखित राजीनामे के निरस्त किये जाने की डिक्री पारित की है। जिससे अपीलान्टगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि विवादित आराजीयात रेस्पोडेन्ट स. 1 से 4 के पिता व पति मोहन के खातेदारी मे थी। जिसको रेस्पोडेन्ट सं. 5 के द्वारा वादपत्र प्रस्तुती के पूर्व ही सन् 2008 मे अवाप्त की जा चुकी थी। जिससे अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर अपीलान्टगण वादीगण का वादपत्र निरस्त किये जाने की डिक्री पारित की है। अपीलान्टगण की ओर अवाप्तशुदा भूमि के सम्बन्ध मे घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया है जिससे अपीलान्टगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र विधि द्वारा वर्जित था जिसको आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत निरस्त किये जाने मे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने कोई अवैधानिकता व अनियमितता नही की है। अपीलान्टगण की ओर से प्रस्तुत अपील निराधार होकर खारीज की जाने योग्य है।

रेस्पोडेन्ट सं. 5 ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिनुसार होना बताते हुए अपीलान्टगण की ओर से प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की वैधानिक बहस पर मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने लोक अदालत के तहत बिना किसी लिखित राजीनामे के आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र जो अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे अनिर्णित था। लोक अदालत के तहत बिना किसी राजीनामे के अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने बिना किसी लिखित राजीनामे के प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्टगण वादीगण का वादपत्र निरस्त किये जाने की डिक्री पारित की है। जो माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के न्यायिक दृष्टान्त आर0एल0डब्ल्यु0 2008 पार्ट–2 पेज 975 मे पारित न्याय व्यवस्था की लोक अदालत विशुद्ध रूप से पंचाट व सुलह से सम्बन्धित है। यदि पक्षकारान के मध्य पंचाट व सुलह नही हो पाती है तो उक्त पत्रावली को लोक अदालत को उस न्यायालय को प्रेषित कर दी जानी चाहिये जिस न्यायालय से लोक अदालत को पत्रावली प्राप्त हुई है। फिर भी अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने लोक अदालत के तहत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए अपरिपक्व वाद को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादपत्र को खारीज किये जाने मे अवैधानिकता किया जाना प्रतीत होता है। जिससे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा लोक अदालत के तहत बिना पक्षकारान के लिखित राजीनामे के निर्णय व डिक्री पारित की है जो संहवनीय नही होने से अपीलान्टगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्टगण वादीगण 1 से 4 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 192/2008 निर्णय व डिकी दिनांक 03.07.2015 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पत्रावली मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का जवाब प्रार्थना पत्र लिया जाकर उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का परीक्षण किया जाकर प्रार्थना पत्र व तदुपरान्त वादपत्र का विधिनुसार निस्तारण किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.03.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लोटायी जावे।

(चावण्डदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ